



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-17032021-225965
CG-DL-E-17032021-225965

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 92]

नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 17, 2021/फाल्गुन 26, 1942

No. 92]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 17, 2021/PHALGUNA 26, 1942

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 17 मार्च, 2021

सं. 43/2015-2020

विषय : सार्वजनिक सूचना 25 दिनांक 13.10.2020 में संशोधन।

फा. सं. 01/61/180/14/एम-21/पीसी-3.—विदेश व्यापार नीति, 2015-2020 के पैरा 1.03 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महानिदेशक विदेश व्यापार एतद्वारा प्रक्रिया पुस्तक के पैरा 4.97(अ), जिसे सार्वजनिक सूचना 25 दिनांक 13.10.2020 द्वारा अधिसूचित किया गया था को निम्नानुसार संशोधित करते हैं:

मौजूदा पैरा	संशोधित पैरा
(अ) आरओएसएल के तहत दावे प्रस्तुत करने के लिए ऑनलाइन मॉड्यूल में, दिनांक 01.10.2017 और 06.03.2019 के बीच अनुमत निर्यात आदेश (एलईओ) तारीख के साथ शिपिंग बिल वाले आवेदन अलग से प्रस्तुत करना अपेक्षित है। इसी तरह, दिनांक 01.10.2017 से पहले एलईओ की तारीख के साथ शिपिंग बिल वाले अलग आवेदन प्रस्तुत करने होंगे। दिनांक 01.10.2017 से 06.03.2019 तक एलईओ की तारीख के साथ शिपिंग बिलों वाले आवेदनों को प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 30.06.2021 होगी। दिनांक 01.10.2017 से पहले एलईओ की तारीख के साथ शिपिंग बिल वाले आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि को बाद की तारीख में अधिसूचित किया जाएगा।	(अ) आरओएसएल के तहत दावे प्रस्तुत करने के लिए ऑनलाइन मॉड्यूल में, दिनांक 01.10.2017 और 06.03.2019 के बीच अनुमत निर्यात आदेश (एलईओ) तारीख के साथ शिपिंग बिल वाले आवेदन अलग से प्रस्तुत करना अपेक्षित है। इसी तरह, दिनांक 01.10.2017 से पहले एलईओ की तारीख के साथ शिपिंग बिल वाले अलग आवेदन प्रस्तुत करने होंगे। दिनांक 01.10.2017 से 06.03.2019 तक एलईओ की तारीख के साथ शिपिंग बिलों वाले आवेदनों को प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 30.06.2021 होगी। दिनांक 01.10.2017 से पहले एलईओ की तारीख के साथ शिपिंग बिल वाले आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि 31.12.2021 होगी।

इस सार्वजनिक सूचना का प्रभाव: 01-10-2017 से पहले शिपिंग बिलों के लिए एक स्क्रिप तंत्र के तहत राज्य लेवी की छूट (आरओएसएल) के दावे के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि को अधिसूचित किया जाता है।

अमित यादव, महानिदेशक, विदेश व्यापार
एवं पदेन अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

PUBLIC NOTICE

New Delhi, the 17th March, 2021

No. 43/2015-2020

Subject : Amendment in Public Notice 25 dated 13.10.2020

F. No. 01/61/180/14/AM21/PC-3.—In exercise of powers conferred under paragraph 1.03 of the Foreign Trade Policy (2015-2020), the Director General of Foreign Trade hereby amends the para 4.97 j) of the Handbook of Procedures, 2015-20 which was notified vide Public Notice 25 dated 13.10.2020, as below:

Existing Para	Amended Para
j) In the online module for filing claims under RoSL, applications containing shipping bills with Let Export Order (LEO) date between 01.10.2017 and 06.03.2019 are required to be submitted separately. Similarly, separate application containing shipping bills with LEO date before 01.10.2017 needs to be submitted. Last date for submitting applications containing shipping bills with LEO date from 01.10.2017 to 06.03.2019 would be 30.06.2021. The last date for filing applications containing shipping bills with LEO date before 01.10.2017 would be notified at a later date.	j) In the online module for filing claims under RoSL, applications containing shipping bills with Let Export Order (LEO) date between 01.10.2017 and 06.03.2019 are required to be submitted separately. Similarly, separate application containing shipping bills with LEO date before 01.10.2017 needs to be submitted. Last date for submitting applications containing shipping bills with LEO date from 01.10.2017 to 06.03.2019 would be 30.06.2021. The last date for filing applications containing shipping bills with LEO date before 01.10.2017 would be 31.12.2021.

Effect of this Public Notice : The last date for applying for Rebate of State Levies (RoSL) claim under a scrip mechanism for Shipping Bills prior to 01.10.2017 is notified.

AMIT YADAV, Director General of Foreign Trade
& Ex-officio Addl. Secy.